न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 102 वर्ष 2024

आवेदक– महेन्द्र रवानी
ग्राम– गोमिया महतो टोला
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

क्रेता– भीम राम रवानी
ग्राम– गोमिया टोला–
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03

18.09.2024

आदेश

यह वाद आवेदक महेन्द्र रवानी, पिता–स्व0 लक्ष्मण रवानी, ग्राम–गोमिया (महतो टोला), पो0–गोमिया, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
गोमिया	110	258	1577	06 डी0	03 डी0	टांड दो

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 2,73,000/–(दो लाख तिहतर हजार) रूपये में क्रेता–भीम राम रवानी, ग्राम–गोमिया, पो0–गोमिया, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो एवं वर्त्तमान निवास ग्राम–बेरमो बस्ती, पो0–सण्डे बाजार, थाना–गाँधीनगर, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 632/रा0, दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–702, दिनांक–12.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के चंद्रवंशी (कहार) हैं जो पिछड़ी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में गोपाल चौधरी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–34, भौलुम सं0–11 पर रामचन्द्र राम वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार दाखिल–खारिज केश नं0–42/93–94 प्राधिकार कॉलम में दर्ज है एंव लगान रसीद वित्तिय वर्ष 1993–94 से वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में गोपाल चौधरी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–34, भौलुम सं0–11 पर रामचन्द्र राम वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं। एंव लगान रसीद वित्तिय वर्ष 1993–94 वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों चंद्रवंशी (कहार) जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक महेन्द्र रवानी, पिता–स्व0 लक्ष्मण रवानी, ग्राम–गोमिया (महतो टोला), पो0–गोमिया, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
गोमिया 110	258	1577	06 डी0	03 डी0	नीज बिक्रेता	छत्रधारी राग	विशु चमार	रास्ता
			कुल	03 डी0 (तीन डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,73,000/–(दो लाख तिहतर हजार) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–भीम राम रवानी, पिता–स्व0 इश्वर राम रवानी, ग्राम–गोमिया, पो0–गोमिया, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो एवं वर्त्तमान निवास ग्राम–बेरमो बस्ती, पो0–सण्डे बाजार, थाना–गाँधीनगर, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

18.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

18.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:24:29 -08:00
Location: 192.168.1.34